

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/6203 /
दो-14-9/83 भाग-चार

जबलपुर, दिनांक ०१/१२/२०२२

श्रीमती नेहा सेन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर से स्वाध्यायी छात्र के रूप में एम.ओ.एम से हिन्दी टाइपिंग सत्र 2022" में अध्ययन करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(रामकुमार चौहान)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/6204 /

जबलपुर, दिनांक ०१/१२/२०२२

दो-14-9/83 भाग-चार

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. डिप्टी रजिस्ट्रर(एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

// 2 //

4. श्रीमती नेहा सेन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(विकास चन्द्र मिश्र)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)